फैसला आरक्षित

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

दाण्डिक अपील सं 227/ 2016

हरीश चंद्र ..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित :-

श्री किशोर कुमार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

सुश्री पुष्पा भट्ट, उप महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य/प्रत्यर्थी

माननीय आलोक सिंह, जे.

1- वर्तमान अपील विशेष न्यायाधीश, पोकसों ऐक्ट,1. वर्तमान अपील विशेष न्यायाधीश पोकसो हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा विशेष विचारण संख्या 16/2015 में पारित निर्णय दिनांकित 24-6-2016/28-06-2016 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई है जिसमें आरोपी अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376 (1), 342, 506 के दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था जिसमे उसे 8 साल के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना देने,दस हजार रुपये अर्थदंड, चूक होने पर, भा.दं.सं. की धारा 376 (1) के अंतर्गत दो महीने का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 342 के तहत 1 साल का कारावास और धारा 506 आईपीसी के तहत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा को भुगतना होगा।

2. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियोक्त्री के पिता ने 11.05.2015 को पट्टी गोनियारो, तहसील धारी, जिला नैनीताल में इस आशय की एक प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी बेटी कक्षा 9 में पढ़ रही थी। 10 मई, 2016 को उसकी बेटी पड़ोस में एक विवाह

समारोह में भाग लेने गई थी। उनकी बेटी, दीपा के साथ दोपहर लगभग 2 बजे, मे शामिल होने गई थी । उसकी लड़की,

मे शामिल होने गई थी। उसकी लड़की दीपा के साथ के साथ पास के घर से लकड़ी लेने गई थी। आरोपी हरीश ने उनका पीछा किया। हरीश ने जबरन अभियोक्त्री को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुमारी दीपा मौके से भाग गई। शाम को उसकी बेटी ने उसे घटना की जानकारी दी। तदनुसार, उन्होंने राजस्व पुलिस से संपर्क किया और उनसे आरोपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

3- पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। मामले को विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम की अदालत को सुपुर्दगी के बाद निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 342,376 (2), 506 तथा 3/4 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने आरोपों का खंडन किया और विचारण का दावा किया।

4- अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पी डब्लू- 1 अभियोक्त्री के पिता-मुखबिर, पी डब्लू- 2 अभियोक्त्री, पी डब्लू- 3 अभियोक्त्री की मां, पी डब्लू- 4 अभियोक्त्री की चिकित्सा जांच करने वाली डॉ. पल्लवी चौहान, पी डब्लू- 5 जीपी मौर्य, प्रभारी प्रिंसिपल, जीआईसी, चकडोबा जहां अभियोक्त्री अध्ययन कर रही थी, पी डब्लू- 6 गंगा दत्ता पालडिया, राजस्व उप निरीक्षक पी डब्लू- 7 रेवती पंत, उप निरीक्षक, पी डब्लू- 8 रविंदर कुमार, जांच अधिकारी की जांच की गई। इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के अंतर्गत अपीलकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया।

5- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया। व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की

।

6- मैंने श्री किशोर कुमार, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता,

6. श्री किशोर कुमार, अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुश्री पुष्पा भट्ट, राज्य की उप महाधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

7- अभियोक्त्री पी डब्ल्यू-2 ने धारा 164,7. अभियोक्त्री पी डब्लू-2 ने धाराय 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने बयान तथा वाद विचारण के दौरान दिए गए अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ योनि मैथुन किया, जिसके परिणामस्वरूप खून भी बहा ।

8- पी डब्लू-4 डॉक्टर पल्लवी चौहान ने अभियोकत्री की चिकित्सीय जांच की। उसे बलात्कार या यौन उत्पीड़न का कोई संकेत नहीं मिला। अभियोकत्री के आंतरिक या बाहरी हिस्से पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसने पाया कि हयमन टूट गया था लेकिन कथित बलात्कार के कारण नहीं। वह हयमन के टूटने के समय को सूचित करने में असमर्थ थी। उन्होंने अग्रेतर कहा कि हयमन विभिन्न कारणों से टूट सकता है। अभियोक्त्री के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न या बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोक्त्री के अंडरगारमेंट को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, इसलिए, इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। अभियोक्त्री के अंडरगारमेंट को फोरेंसिक जांच के लिए न भेजने के कारणों के बारे में अभियोजन पक्ष को बेहतर पता है।

9- इस घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह कुमारी दीपा है लेकिन अभियोजन उसे गवाह के रूप में पेश करने में विफल रहा था। घटना स्थल के आस-पास कई घर थे, जिसमें वह घर भी शामिल था जहां शादी होने वाली थी। घटना स्थल के पास काफी भीड़ होनी चाहिए, लेकिन अभियोक्त्री ने कोई आवाज नहीं दी। इसलिए अभियोक्त्री के आरोप संदिग्ध प्रतीत होते हैं।

10- मैंने दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य गवाहों के बयानों को भी देखा है, लेकिन अभियोजन को उचित संदेह के बाद साबित करने के लिए कुछ भी सामग्री सामने नहीं आई है।

11- विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलकर्ता को धारा 376 (1) भा.दं.सं. से केवल इस आधार पर दोषसिद्ध ठहराया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री की योनि में अपनी उंगली डाली थी जबकि अभियोक्त्री ने न तो 164 भा.दं.सं. के अपने अभिलिखित बयान में और न ही विचारण के दौरान कहा कि अभियुक्त ने उसकी योनि में अपनी उंगली डाली थी। उसने मात्र यह कहा कि आरोपी ने योनि मैथुन किया, जो साबित नहीं हुआ है।

12- उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 24-06-2016/28-06-2016 को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। इस फैसले की प्रति निचली अदालत के अभिलेख के साथ अनुपालन के लिए निचली अदालत को भेजी जाए।

(आलोक सिंह, जे.)

14-03-2019

एसकेएस